Incidence, Impact, Effect and shifting of Tax

Incidence and Impact of Tax

Incidence of tax (कर भार) का अर्थ प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से है, जबकि Impact of tax (कराघात) का अर्थ कर के प्रथम आघात से है। जब सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो जो व्यक्ति कर की राशि का भुगतान करता है उसी पर कराघात (Impact of tax) होता है। उदाहरण के लिए मानलीजिए कि चीनी की एक बोरी पर 50 रुपया उत्पादन कर लगा दिया गया है यदि चीनी का उत्पादक इस कर का भुगतान स्वयं अपनी जेब से करता है तो इसे हम चीनी के उत्पादक के लिए कराघात (Impact of tax) कहते है।

अधिकतर जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है (अथवा जिसपर कराघात होता है) वह करों का अन्तरण इधर व्यक्ति की ओर करता है। तो उसे कर भार कहते है। अर्थात कर भार से हम प्रत्यक्ष मौद्रिक दबाव को देखते है या देखते है कि करदाता कर के रूप में कितनी राशि का भुगतान कर रहा है। उदाहरण के लिए मानलीजिए कि चीनी उत्पादक चीनी पर उस उत्पादन कर को स्वयं अपनी जेब से भुगतान न कर इस

कर की राशि को वस्तु के मूल्य में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूल करता है तो चूंकि उत्पादन कर का परोक्ष रूप से मौद्रिक भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है इसलिए यह कर भार (Incidence of tax) कहलाता है। यदि ये उपभोक्ता इस भार को आगे की ओर विवर्तन कर दे तो ऐसी दशा में कराघात (Impact) तो इन्हीं उपभोक्ताओं पर होगा और कर भार आगे के उपभोक्ताओं पर। यदि चीनी के उत्पादक चीनी के उत्पादन कर को आगे की ओर परिवर्तित न कर सके तथा पूरा का पूरा भार स्वयं वहन कर ले तो ऐसी दशा में कर भार (Incidence) और कराघात (Impact) दोनों ही चीनी उत्पादकों को सहन करना होगा।

Incidence of tax and Effect of Tax

करभार और कर के प्रभाव में बड़ा भारी अन्तर होता है। करभार का अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से मौद्रिक भार लगाया जाता है जबकि कर के प्रभाव का अभिप्राय करो के परोक्ष प्रभाव से है। करो के लगाने के बाद व्यक्तियों के उपभोग, बचत, विनियोग उत्पादन, रोजगार आदि में तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में जो प्रतिकूल हलचल होती है उसे लगाया जाता है। इसप्रकार कर भार से हम केवल यह ज्ञात करते है कि कर लगाने से कितना मौद्रिक भार पड़

रहा है पर कर के प्रभावों का क्षेत्र काफी व्यापक होता है यह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देता है।

Incidence and Shifting of Tax

(Incidence of tax का विवरण ऊपर दिया गया है)
जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह कर की राशि को अन्य व्यक्ति पर डालने का प्रयास करता है। यदि वह व्यक्ति अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो इसे कर का विवर्तन (shifting of tax) कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि नगरपालिका द्वारा मकानों पर कर लगाया जाय तो इस कर की राशि का भुगतान मकान मालिकों द्वारा किया जायेगा (यह Impact होगा) और यदि इस कर की राशि को मकान के किराये में जोड़कर किरायेदारों से वसूल कर लेते हैं तो कर का वास्तविक भार किरायेदारों पर पड़ेगा तो मकान मालिकों की यह क्रिया कर का विवर्तन (shifting of tax) कहलाएगी।

कर विवर्तन का अभिप्राय करों का अन्तरण दूसरे व्यक्तियों की ओर करने से है। करभार में हम प्रत्यक्ष मौद्रिक दबाव को देखते हैं अर्थात करदाता कर के रूप में कितनी राशि का भुगतान कर रहा है जबकि कर विवर्तन का अभिप्राय करों के भार को दूसरे व्यक्तियों पर डालना होता है।

कर विवर्तन आगे या पीछे दोनों ओर हो सकता है। मान लीजिए कि सरकार चीनी के उत्पादकों

पर कर लगाती है। चीनी के उत्पादक कर की राशि को रिटेलरों से चीनी का मूल्य बढ़ाकर वसूल कर लेते हैं यदि रिटेलर भी उपभोक्ताओं से कर वसूल करना चाहें तो वे भी पहले की अपेक्षा चीनी का मूल्य बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। इसप्रकार कर विवर्तन को आगे की ओर कर विवर्तन कहा जाता है।

लेकिन कभी कभी मूल्यों के बढ़ने से वस्तुओं की मांग घटती है और बिक्री पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में वस्तु के गुणों में कमी लाकर करों का विवर्तन पीछे की ओर भी हो सकता है। अर्थात् जहाँ कर लगने के पूर्व दानेदार चमकीली चीनी बेची जा रही थी वही अब उसी भाव पर बारीक मटमैली चीनी बिकने लगेगी। अतः कच्चे माल की पूर्ति तथा श्रमिकों पर लगाए गये कर पीछे की ओर विवर्तन के उदाहरण हैं। इसप्रकार करों का विवर्तन दोनों ओर हो सकता है।

Dr Sandhya Rai
Dept of Economics